बिहार सरकार
<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक– प्र06–विविध(दाल)–11/2020– 1797 खाद्य, पटना/दिनांक– 27.04.2020

प्रेषक,

दिनेश कुमार, भा0प्र0से0
निदेशक।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित प्रत्येक परिवारों को माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक (तीन माह) 1 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– सचिव, उपभोक्ता मामले, भारत सरकार का अ0स0 पत्र सं0 PS-03002/3/2020-PMC दिनांक 16.04.2020 एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का पत्रांक 3420 दिनांक 22.04.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोविड–19 से उत्पन्न वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु राज्य में घोषित लॉकडाउन के कारण प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित प्रत्येक परिवारों को माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक (तीन माह) 1 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराया जाना है। उक्त हेतु प्रासंगिक पत्र के द्वारा भारत सरकार द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है एवं नेफेड द्वारा 11 जिलों मे स्थित मुख्य नोडल गोदाम में दाल उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्य नोडल गोदामों में भारत सरकार से अगले तीन माह तक आवंटित दाल का उठाव करते हुए जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से लाभुकों के बीच वितरण किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित दाल का ससमय उठाव करते हुए जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से लाभुकों को अगले तीन माह तक मुफ्त 1 किलोग्राम दाल का पारदर्शी तरीके से वितरण कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
निदेशक।

ज्ञापांक– प्र06–विविध(दाल)–11/2020– 1797 खाद्य, पटना/दिनांक–27.04.2020
प्रतिलिपि – अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक।

D:\YEAR = 2020\SEC = 06 (SIX)\Rajesh.doc

(24)

बिहार स्टेट फूड एवं सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लिमिटेड

खाद्य भवन, दारोगा प्रसाद राय पथ, आर ब्लॉक, रोड नं0–02, पटना–800001

पत्रांक– 2/15/14/01/20–3420 दिनांक 22/4/20

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम,
पटना।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषयः– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत NFSA के पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवारों को मुफ्त में एक किलोग्राम दाल उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोविड–19 वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु राज्य में घोषित लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत NFSA के पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवारों को मुफ्त में एक किलोग्राम दाल उपलब्ध कराया जाना है। नाफेड का पत्रांक HO/IS/STATES/PMGKAY/2019-20 दिनांक 28.03.2020 के अनुसार नाफेड को राज्य में मुफ्त में दाल उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। नाफेड द्वारा 11 जिलों स्थित मुख्य नोडल गोदामों पर दाल उपलब्ध कराने के पश्चात सम्बद्ध जिले के जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से लाभुकों के बीच दाल का वितरण किया जाना है। मुख्य नोडल गोदाम से सम्बद्ध जिलों में दाल की प्राप्ति, विक्रेतावार उपावंटन, जन वितरण प्रणाली दुकान तक डी0एस0डी0 के माध्यम से पहुँचाने एवं लाभुकों के बीच वितरण करने तथा निगरानी समिति/सतकर्त्ता समिति के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं इसका अनुश्रवण करने हेतु मार्गदर्शिका इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत NFSA के पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवारों को मुफ्त में एक किलोग्राम दाल पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन
(पंकज कुमार पाल)
प्रबंध निदेशक।

22/4/20

ज्ञापांक– 2/15/14/01/20–3420 दिनांक 22.4.20

प्रतिलिपिः– अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी नोडल पदाधिकारी–सह–जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सरकार के सचिव/अपर सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक
आपूर्ति निगम, पटना।

22/4/20 22/4

Scanned with CamScanner

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत राज्य में नाफेड से दाल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु मार्गदर्शिका

Scanned with CamScanner

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत नाफेड से दाल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु मार्गदर्शिका

कोविड–19 वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु राज्य में घोषित लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत NFSA के पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवारों को मुफ्त में एक किलोग्राम दाल उपलब्ध कराया जाना है। नाफेड का पत्रांक HO/IS/STATES/PMGKAY/2019-20 दिनांक 28.03.2020 के अनुसार नाफेड को राज्य में मुफ्त में दाल उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। नाफेड द्वारा मुख्य नोडल गोदामों पर दाल उपलब्ध कराने के पश्चात सम्बद्ध जिले के जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से लाभुकों के बीच दाल का वितरण किया जाना है। नाफेड द्वारा 11 जिलों में चिन्हित मुख्य नोडल गोदामों पर दाल का परिवहन ट्रकों के माध्यम से कराया जाना है, जहाँ से सम्बद्ध जिला में परिवहन कराते हुए लाभुकों के बीच वितरण कराने हेतु आवश्यक तैयारी, सावधानी एवं त्वरित क्रियान्वयन अपेक्षित है।

- **दाल प्राप्ति हेतु मुख्य नोडल गोदाम, नोडल गोदाम से सम्बद्ध जिला गोदाम एवं आवंटन**

क्र	मुख्य नोडल गोदाम के जिला का नाम	दाल भंडारण हेतु मुख्य नोडल गोदाम का नाम एवं पता	क्र0रा0	मुख्य नोडल गोदाम से सम्बद्ध जिला का नाम	दाल की मात्रा (मि0टन में)
1	रोहतास	कृषि उत्पादन बाजार समिति, तकिया, सासाराम	1	रोहतास	344.619
			2	कैमूर	178.770
			3	बक्सर	181.922
				कुल	705.311
2	गया	बाजार समिति चंदौती, गया	1	गया	542.[illegible]
			2	जहानाबाद	14[illegible]
			3	नवादा	293.431
			4	औरंगाबाद	316.821
				कुल	1298.080
3	मुजफ्फरपुर	सिकंदरपुर स्टेडियम, मुजफ्फरपुर	1	मुजफ्फरपुर	836.485
			2	वैशाली	573.978
			3	सारण	499.409
			4	सिवान	430.140
				कुल	2340.012
4	सहरसा	कारू खिरहर इनडोर स्टेडियम, सहरसा	1	सहरसा	340.888
			2	सुपौल	432.783
			3	मधेपुरा	367.053
				कुल	1140.724
5	कटिहार	तीनगछिया बाजार समिति, कटिहार	1	कटिहार	572.788
			2	अररिया	569.330
			3	पूर्णियाँ	607.569
			4	किशनगंज	318.738
				कुल	2068.421
6	बेगुसराय	बाजार समिति, बेगुसराय	1	बेगुसराय	531.307
			2	खगड़िया	336.721
			3	समस्तीपुर	763.753

Scanned with CamScanner

					कुल	1631.081
7	पटना	बाजार समिति किशन, पटना	1	बक्सर		98.81[illegible]
			2	भोजपुर		369.761
			3	पटना		901.531
					कुल	1370.116
8	मधुबनी	केन्द्रीभावन गर्ल्स स्कूल, अंधराठाढ़ी मधुबनी	1	दरभंगा		830.8[illegible]
			2	मधुबनी		816.9[illegible]
			3	सीतामढ़ी		671.306
			4	शिवहर		141.876
					कुल	2463.198
9	भागलपुर	बामबाढ़ी बाजार समिति गोदाम, भागलपुर / सोमालिया, भागलपुर	1	बांका		[illegible]
			2	भागलपुर		49[illegible].763
			3	जमुई		[illegible]
					कुल	1125.980
10	नालंदा	रामचन्द्रपुर बाजार समिति प्रांगण, नालंदा	1	लखीसराय		130.86[illegible]
			2	मुंगेर		215.841
			3	नालंदा		440.176
			4	शेखपुरा		80.[illegible]
					कुल	867.213
11	पूर्वी चंपारण	बाजार समिति, मोतिहारी	1	पूर्वी चंपारण		[illegible]
			2	प०चंपारण		690.[illegible]
			3	गोपालगंज		317.394
					कुल	1866.025
					कुल योग:-	10877.461

1. नोडल पदाधिकारी को नामित किया जाना:-

⇒ राज्य में चिन्हित 11 मुख्य नोडल गोदामों एवं सम्बद्ध जिलों के जिला प्रबंधकों को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

⇒ नोडल पदाधिकारी द्वारा नाफेड से दाल की प्राप्ति, लोडिंग अनलोडिंग, नमूना प्राप्त करने, जी०पी०एस० एवं लॉकरोल युक्त ट्रकों से दाल का परिवहन कराने तथा जन वितरण प्रणाली की दुकान पर दाल को पहुँचाने आदि की सारी कार्रवाई पारदर्शी ढंग से करायी जायेगी। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अपेक्षित नहीं होगी। नोडल पदाधिकारी की सूची संलग्न है (अनुलग्नक 01)।

2. गोदाम पर आवश्यक व्यवस्था:-

⇒ मुख्य नोडल गोदाम एवं सम्बद्ध जिला के गोदामों को उपयोग में लिये जाने के पूर्व सभी गोदामों का **अवशेष भण्डार शून्य (Zero Physical Verification)** करते हुए गोदामों की विडियोग्राफी कराये जाने के **पश्चात ही दाल को भण्डारित कराया जायेगा।** दाल को भण्डारित कराने के पूर्व **गोदाम में गुणवत्ता जांच की व्यवस्था, दाल की स्टैकिंग** की व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, **गोदाम की सफाई तथा किटाणु मुक्त आवश्यक** छिड़काव तथा कोरोना वायरस के संक्रमण **को रोकने हेतु पानी, सेनेटाइजर, मास्क,** साबुन, हैंडवाश आदि की व्यवस्था मुख्य नोडल **गोदाम के जिला प्रबंधक द्वारा की जायेगी।** सभी नोडल पदाधिकारी

Scanned with CamScanner

यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दाल के लोडिंग–अनलोडिंग एवं भण्डारण में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना संक्रमण के रोकथाम के अन्य उपायों का भी अनुपालन किया जा रहा है।

3 **<u>नाफेड से दाल की प्राप्ति हेतु सूचना का संग्रहण एवं आवश्यक कार्रवाई</u> :–**

⇒ मुख्य नोडल पदाधिकारी दाल की प्राप्ति हेतु आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए नाफेड के पदाधिकारी / प्रतिनिधि श्री आर0एम0 पटनायक (मो0न0–7978876948) से सम्पर्क रहेंगे। नाफेड के प्रतिनिधि से दाल पहुंचने के अग्रिम सूचना प्राप्त करेंगे तथा दाल के ट्रकों का नम्बर तथा ट्रक चालक का नाम एवं मोबाईल नम्बर प्राप्त कर उनके पहुँचने के अनुसार आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। सम्बद्ध जिला के नोडल पदाधिकारी जी0पी0एस0 एवं लॉकसेलयुक्त ट्रकों के माध्यम से दाल का उठाव करने हेतु प्रतिनियुक्त उठाव प्रभारी–सह–सहायक गोदाम प्रबंधक एवं आवश्यक मजदूरों की उपस्थिति, दाल प्राप्ति की सूचना प्राप्त होते ही अविलम्ब सुनिश्चित करायेंगे।

4. **<u>गोदाम पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति तथा मजदूरों की व्यवस्था</u> :–**

⇒ मुख्य नोडल गोदाम पर नाफेड द्वारा उपलब्ध कराये गये दाल को ट्रक से उतराई एवं धराई हेतु मुख्य नोडल गोदाम के जिला प्रबंधक द्वारा आवश्यक मजदूरों की व्यवस्था की जायेगी।

⇒ मुख्य नोडल गोदाम तथा जिला के नोडल गोदाम पर सहायक गोदाम प्रबंधक सह उठाव प्रभारी की प्रतिनियुक्ति संबंधित जिला के जिला प्रबंधक द्वारा की जायेगी तथा दाल का ट्रक से उतराई एवं धराई हेतु आवश्यक मजदूरों की व्यवस्था संबंधित जिला के जिला प्रबंधक द्वारा की जायेगी।

⇒ सभी जिला के जिला प्रबंधक द्वारा दाल के संधारण हेतु एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति लैपटॉप एवं इंटरनेट कनेक्टीवीटी के साथ की जायेगी।

5. **<u>गोदाम पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं कर्त्तव्य</u> :–**

⇒ 11 मुख्य नोडल गोदामों के जिलों एवं मुख्य नोडल गोदामों से सम्बद्ध जिलों के जिला पदाधिकारी द्वारा गोदाम में भण्डारित दाल की सुरक्षा हेतु सशस्त्र बल के साथ दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी जिले के लिए आवंटित दाल को अपनी सुरक्षा में अपने जिले के नोडल गोदाम तक परिवहन कराना सुनिश्चित करेंगे।

⇒ जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी अपनी उपस्थिति में नोडल गोदाम पर भण्डारित दाल में से राज्य खाद्य निगम के उठाव प्रभारी द्वारा गुणवत्ता नियंत्रक एवं नाफेड के प्रतिनिधि से नियमानुसार दाल का नमूना लेना सुनिश्चित की जायेगी। सभी उपस्थित दण्डाधिकारी, उठाव प्रभारी, गुणवत्ता नियंत्रक एवं नाफेड के प्रतिनिधि लिये गये दाल के नमूना के सैम्पल टैग पर अपना हस्ताक्षर भी करेंगे।

6 **आवश्यक पंजियों का संधारण एवं डाटा की ऑन लाईन प्रविष्टी :–**

⇒ नाफेड द्वारा उपलब्ध कराये गये दाल की प्राप्ति, भण्डारण एवं वितरण करने हेतु Inward Register, Stock Register and Outward Register आदि आवश्यक पंजी की व्यवस्था एवं संधारण संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से डाटा की प्रविष्टी ऑन लाईन कराना भी सुनिश्चित की जायेगी।

दाल का परिवहन, भंडारण एवं गुणवत्ता जॉच :-

⇒ नाफेड द्वारा मुख्य नोडल गोदाम में ट्रकों से उपलब्ध कराये गये दाल को प्रतिनियुक्त उठाव प्रभारी द्वारा धर्मकांटा/अन्य तौलने के माध्यम से वजन कराकर नियमानुसार प्राप्त किया जायेगा। गोदाम में दाल को नियमानुसार स्टैकिंग कराते हुए रखा जायेगा तथा उसमें से प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं नाफेड की प्रतिनिधि की उपस्थिति में उठाव प्रभारी एवं गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा दाल का नमूना नियमानुसार लिया जायेगा।

⇒ दाल के नमूना FAQ के अनुसार रहने एवं गुणवत्ता के बिन्दु पर संतुष्ट होने के पश्चात उसका परिवहन दण्डाधिकारी के साथ किया जायेगा।

⇒ प्रतिनियुक्त गुणवत्ता नियंत्रक एवं सहायक प्रबंधक का यह दायित्व होगा कि स्टैक में रखे दाल के बोरों के छल्ली से निर्धारित प्रक्रियानुसार नमूना प्राप्त करेंगे और उसका विहित प्रक्रिया के अनुसार भौतिक जांच करेंगे।

⇒ भौतिक जांच में दाल की क्वालिटि समान एवं एफ0ए0क्यु0 का पाये जाने पर ही दाल की प्राप्ति चालान वाहन चालक को लौटायेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित गुणवत्ता नियंत्रक एवं उठाव प्रभारी–सह–सहायक गोदाम प्रबंधक के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

⇒ भौतिक जांच के बाद गुणवत्ता नियंत्रक विहित प्रक्रियानुसार सैम्पल को भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित प्रयोगशाला में केमिकल जांच के लिये भेजवायेंगे। इस कार्य को जिला प्रबंधक अपने देख–रेख में सम्पन्न करायेंगे।

8. **<u>जिला में प्राप्त दाल का भौतिक सत्यापन</u> :-**

⇒ जिला मुख्यालय के नामित गोदाम मे दाल प्राप्ति की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा अविलंब एक जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया जायेगा तथा प्राप्त दाल का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

⇒ इसी प्रकार जब जिला मुख्यालय गोदाम से प्रखंड के टी0पी0डी0एस0 गोदाम में दाल भेजी जाय तो इसका भी भौतिक सत्यापन कराने के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित करते हुए प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।

⇒ नोडल पदाधिकारी दाल प्राप्ति का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. **<u>दाल का उपावंटन, एस0आई0ओ0 जेनरेशन एवं जन वितरण प्रणाली दुकान तक परिवहन</u> :-**

⇒ दाल का आवंटन जिला को प्राप्त होते संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार कार्डधारियों की संख्या के आधार पर उपावंटन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की कार्डधारियों की संख्या के अनुरूप दाल की मात्रा का उपावंटन किया जायेगा।

⇒ उक्त कार्य अनुमंडल पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा तथा उपावंटन अनुमोदनोपरान्त जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम अपने सिस्टम से जन वितरण प्रणाली दुकानदारवार एस0आई0ओ0 जेनरेट किया जायेगा। एस0आई0ओ0 पर हस्ताक्षरोपरान्त प्रखंड स्तरीय टी0पी0डी0एस0 गोदामों के प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक को भंडार निर्गमादेश की

Scanned with CamScanner

तीन प्रति प्राप्त कराया जायेगा, जिसके आधार पर जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर डी०एस०डी० के माध्यम से भेजा जायेगा।

⇒ जिला प्रबंधक एवं सहायक गोदाम प्रबंधक डी०एस०डी० वाहनों के परिचालन के लिये स्पष्ट रूप से रूट चार्ट बनायेंगे और प्रयुक्त जी०पी०एस० एवं लोडसेल युक्त वाहनों का ट्रैकिंग 4जी आईडेण्टीटी सोल्युशन के द्वारा किया जायेगा।

⇒ जन वितरण प्रणाली दुकानों पर दाल पहुँचने की सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं उस दुकान से संबंधित उपभोक्ताओं को एन०एफ०एस०ए० की तरह एस०एम०एस० की माध्यम से 4जी आईडेण्टीटी सोल्युशन द्वारा सूचना दी जायेगी।

10. नियंत्रण कक्षः–

⇒ सम्पूर्ण प्रक्रिया के सुगम संचालन एवं निगरानी हेतु राज्य खाद्य निगम मुख्यालय स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है, जिसके वरीय प्रभार में श्री ललन कुमार सिंह, प्रबंधक, जन वितरण (मो०नं० 9939443483) रहेंगे। उनके साथ आठ–आठ घंटे की पाली में श्री पंकज कुमार, कार्यपालक सहायक (मो०नं० 8210938371) श्रीमति अर्पना सिन्हा, (8936814754), विकास कुमार, (मो०नं० 7717736379) रहेंगे। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष 0612–2507013 कार्यरत रहेगा।

⇒ जिला स्तर पर भी जिला प्रबंधक द्वारा नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर नामित पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर निगम मुख्यालय एवं श्री आर० एम० पटनायक, शाखा प्रबंधक, नाफेड पटना शाखा को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

11. <u>निगरानी / सतर्कत्ता समिति की सहभागिता</u> :–

⇒ जन वितरण प्रणाली द्वारा दाल प्राप्ति की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के साथ–साथ निगरानी समिति / सर्तकता समिति के सदस्यों को भी दी जायेगी।

⇒ जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा NFSA के पूर्वोक्तप्राप्त गृहस्थी (PHH) एवं अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवार को प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त में पॉस मशीन के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा तथा वितरण से संबधित विवरणी बिक्री पंजी में संधारित की जायेगी।

⇒ पंचायत स्तरीय निगरानी–सह–सर्तकता समिति के सदस्यों द्वारा दाल वितरण पर निगरानी रखी जायेगी तथा बैठक की कार्यवाही में मुफ्त चावल एवं दाल के वितरण की समीक्षा करते हुए कार्यवाही की प्रति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।

⇒ अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत पंचायत स्तरीय निगरानी–सह सर्तकता समिति की बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे तथा बैठक की कार्यवाही को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त करेंगे एवं कार्यवाही में अंकित निर्णयों के आलोक में नियमानुकुल कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

⇒ जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन विभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

- दाल की प्राप्ति से लेकर वितरण तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये रखने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक प्र07–विविध (सतर्कता)– 10/2017 1573 खाद्य, पटना/ दिनांक 11.04.2020 में निहित प्रावधान के अनुसार जिला/अनुमंडल /प्रखंड/पंचायत/वार्ड स्तर पर इसकी निगरानी एवं अनुश्रवण पत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी तथा एतत् संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. **अनुश्रवण :–**

⇒ नाफेड से दाल प्राप्ति से लेकर जन वितरण प्रणाली दुकानों से सम्बद्ध लाभुकों तक दाल की प्राप्ति कार्य को सुगमता एवं निर्बाध रूप से पहुँचाने की प्रक्रिया के वरीय प्रभार में श्री विवेकानन्द झा, भा0प्र0से0, मुख्य महाप्रबंधक (9931244526) रहेंगे। उनके सहायतार्थ श्री सुशील कुमार, महाप्रबंधक, जन वितरण (9431447164) एवं श्री ललन कुमार सिंह, प्रबंधक, जन वितरण (9939443483) रहेंगे।

हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक -1

दाल प्राप्ति हेतु नोडल पदाधिकारी:-

उपरोक्त 11 स्थानों पर दाल प्राप्ति हेतु संबंधित जिला के जिला प्रबंधक, नोडल पदाधिकारी नामित किये जाते है, जिनकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	दाल भंडारण हेतु चयनित स्थान	नोडल पदा0 का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर
1	कृषि उत्पादन बाजार समिति, तकिया, सासाराम	श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, जिला प्रबंधक, रा0खा0नि0, रोहतास, 9431209799
2	बाजार समिति चंदौती, गया	श्री अरूण कुमार सिंह, जिला प्रबंधक, रा0खा0नि0, गया, 8544423637
3	सिकंदरपुर स्टेडियम, मुजफ्फरपुर	श्री प्रवीण कुमार दीपक, जिला प्रबंधक, रा0खा0नि0, मुजफ्फरपुर, 9430829691
4	कारू खिरहर इनडोर स्टेडियम, सहरसा	श्री शंभु शंकर, जिला प्रबंधक रा0खा0नि0 सहरसा, 9135609593
5	तीनगछिया बाजार समिति, कटिहार	श्री राजमोहन झा, जिला प्रबंधक, रा0खा0नि0, कटिहार, 9430557104
6	बाजार समिति, बेगुसराय	श्री जनक कुमार जिला प्रबंधक, रा0खा0नि0, बेगुसराय, 7979717851
7	बाजार समिति बिहटा, पटना	श्री विनोद कुमार पंकज, जिला प्रबंधक, रा0खा0नि0, पटना, 9430640690
8	केजरीवाल हाई स्कुल, झंझारपुर, मधुवनी	श्री किशोर कुमार, जिला प्रबंधक, रा0खा0नि0, मधुवनी 9430964634
9	बागबाडी बाजार समिति गोदाम नौगछिया, भागलपुर	श्री गुलाब हुसैन, जिला प्रबंधक, रा0खा0नि0 भागलपुर, 9955282397
10	रामचन्द्रपुर बाजार समिति प्रांगण, बेना, नालंदा	श्री राजेश कुमार सिंह, जिला प्रबंधक रा0खा0नि0, नालंदा, 9473073500
11	बाजार समिति, मोतिहारी	श्री रमण कुमार गोपाल, जिला प्रबंधक, रा0खा0नि0, मोतिहारी, 9546325618

Scanned with CamScanner